न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

जमाबंदी सुधार वाद संख्या–20/2014

मो0 जकी उद्दीन पे0स्व0 सखी उद्दीन, ग्राम–खिरिनियाँ, थाना–मानसी, जिला–खगड़िया..... अपीलार्थी

बनाम

01.मो0 तनवीर आलम पे0–स्व0 मोहि उद्दीन

02.मो0 सलाउद्दीन पे0–स्व0 जिया उद्दीन दोनों ग्राम–खिरनियाँ, थाना–मानसी, जिला–खगड़िया एवं अन्य.....विपक्षी।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03

5.08.15

आदेश

अपीलार्थी ने विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा जमाबंदी सुधार वाद संख्या–03/2013 में पारित आदेश से क्षुब्ध होकर विपक्षी के विरूद्ध यह अपील वाद लाया है। उन्होंने कहा है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा जमाबंदी रद्द करने का आदेश कानून विरूद्ध है एवं विधि द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। बल्कि कानून में केवल अपर समाहर्त्ता को ही रद्द करने की शक्ति प्रदत्त है।

अपीलार्थी ने अपने अर्जी में अब्दूल अली पे0–खरान अली का वंश वृक्ष भी दिया है।

अपीलार्थी आगे बताते है कि स्व0 समसुद्दीन अपने जीवन काल में अपने पुत्र गणी उद्दीन को अलग कर दिया था और शेष तीन पुत्र संयुक्त रूप से रहें। कालांतर में ये तीनों भाई भी अलग–अलग हो गये तथा इनके नाम अलग–अलग रिटर्न भी दाखिल हुआ तथा अलग–अलग जमाबंदी भी कायम हुयी। मोहिद उद्दीन ने अपने हिस्से की जमीन निम्न प्रकार बिक्री कर दी।

क्रमांक	तिथि	रकवा वि0क0धू0धूरकी0
01.	23.01.1985	00–02–00–00
02.	21.03.1987	00–09–06–00
03.	19.12.1986	00–01–06–10
04.	02.05.1985	00–01–10–00
05.	21.03.1986	00–14–05–00
06.	17.02.1987	00–14–13–10

उपर्युक्त के अलावे भी मोहि उद्दीन ने दूसरे जमीन की बिक्री की है। इस प्रकार उनकी जमाबंदी में केवल 08कट्ठा 02धूर जमीन अवशेष रह गयी है, परन्तु मोहि उद्दीन द्वारा 03कट्ठा 06धूर जमीन जो बिक्री की गयी वह जमाबंदी संख्या–198 से खारिज किया गया जो अपीलार्थी के पिता के नाम से कायम है। मोहि उद्दीन ने 23.01.1985 को जो 02कट्ठा जमीन खेसरा संख्या–406 की बिक्री की है उसका केवाला में अपनी जमाबंदी–197 mention नहीं कर जमाबंदी–198 mention किया था तथा जमीन–198 से खारिज हो गयी। इस प्रकार मोहि उद्दीन द्वारा फर्जी काम किया गया। इस प्रकार 19.12.1986 को बिक्री की गयी जमीन का खारिज जमाबंदी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03
	संख्या–198 से कर दिया गया। दिनांक 17.02.1977 को मोहि उद्दीन द्वारा बिक्री की गयी खेसरा संख्या 49 का 14कट्ठा 13धूर 10धूरकी जमीन भी उनकी जमाबंदी संख्या–197 से खारिज नहीं हुआ, परन्तु विपक्षी दूसरे के जमीन पर झूठा दावा करते है। जमाबंदी संख्या–16 की संपूर्ण जमीन भी अंतरित हो चूँकी है। सफी उद्दीन जो जमाबंदी संख्या–198 के जमाबंदी रैयत है ने कभी जमीन अंतरण नहीं किया है। इस प्रकार मोहि उद्दीन को मात्र 01कट्ठा कुछ धूर जमीन अवशेष रह गयी है। विपक्षी संख्या–01 से संबंधित जमीन के दावा के संबंध में कोई कागजात भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जमाबंदी में छेड़छाड़ करने का अपीलार्थी पर आरोप आश्चर्यचकित है, क्योंकि पंजी–II के सरंक्षक हल्का कर्मचारी होते है, इस प्रकार भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया ने वस्तु स्थिति की गहराई से चिंतन किये बगैर ही अवैध आदेश पारित कर दिया है। अपीलार्थी ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा पारित आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया है। उत्तरवादी ने प्रतिउत्तर दाखिल करते हुए कहा है कि निम्न न्यायालय ने अपीलकर्त्ता की जमाबंदी रद्द नहीं की है बल्कि उत्तरवादी संख्या–01 के जमाबंदी संख्या–197 में गलत विलोपित रकवा को पुराने जमाबंदी में जगह दी है। निम्न न्यायालय का आदेश राजस्व संबंधी है न की हकीकत संबंधी है। अपीलार्थी द्वारा दिया गया वंशावली को सही बताया है। यह मामला सेख समसुद्दीन के पुत्र 01.मो0 जिया उद्दीन के नाम जमाबंदी संख्या–16 02.सेख मोहि उद्दीन के नाम जमाबंदी संख्या 197 तथा अपीलार्थी के पिता 03.मो0 सफी उद्दीन के नाम जमाबंदी संख्या–198 में वर्णित मिलजुमले रकवे के खेसरा से संबंधित है। तीनों जमाबंदी में खाता संख्या–16 और 10 में खेसरा मिलजुमले था। कुल जमीन 03बीघा 09कट्ठा 09धूर तीनों जमाबंदी में सन्निहित था। जिस जमाबंदी रैयत ने खुद जमीन बेचा वह रकवा उनकी जमाबंदी के खेसरा से घट गयी और तीनों जमाबंदी रैयत ने संयुक्त रूप से जो जमीन की बिक्री की वह तीनों जमाबंदी से घटी, जिसमें खेसरा–44, 49, 53, 248, 295, 302, 406, 341, 253 एवं 409 है। उत्तरवादी ने आगे बताया है कि यह सही है कि स्व0 मोहि उद्दीन के द्वारा दिनांक 23.01.1983 को 02कट्ठा, दिनांक 09.12.1986 को 01कट्ठा 06धूर 10धूरकी, दिनांक 21.01.1988 को 14कट्ठा 05धूर जमीन बेचा गया। परन्तु अपील की कंडिका–09 में उल्लेखित दिनांक 23.03.1989 को निष्पादित दिखाया जा रहा है। रकवा 09कट्ठा 06धूर जमीन उपर्युक्त जमाबंदी से न तो सामूहिक और न ही व्यक्तिगत बेची गयी है। हकीकत यह है कि उपरोक्त तीनों जमाबंदी का अंश नही है एवं 17.02.1977 को 14कट्ठा 13धूर जमीन सामूहिक रूप से तीनों जमाबंदी रैयत तथा उनके पिता द्वारा बेचा गया है, तथा अपील के उत्तरवादी संख्या– 02 का आपत्ति–पत्र में वर्णित है। वर्त्तमान में स्व0 मोहि उद्दीन के जमाबंदी संख्या–197 में 17कट्ठा 10धूर 10धूरकी जमीन अवशेष है। उन्होंने यह भी कहा है कि तीनों जमाबंदी संख्या–16, 197 तथा 198 में सामूहिक रूप से बेची गयी जमीन और स्वंय जमाबंदी रैयत द्वारा बेची गयी जमीन की बिक्री के बाद जमाबंदी संख्या–16 में उत्तरवादी संख्या–02 के जमाबंदी में 09कट्ठा 03धूर जमीन शेष बचता है। उन्होंने अपीलार्थी द्वारा पंजी–II में हल्का कर्मचारी के मेल में आकर हेराफेरी का आरोप भी लगाया है। इसके प्रमाण में उन्होंने दिनांक 09.02.2011 को सूचना के अधिकार के	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03

तहत प्राप्त सूचना के अनुसार अपीलार्थी के जमाबंदी संख्या–198 में रकवा 19कट्ठा 16धूर 10धूरकी अंकित है। जबकि दिनांक 06.02.2014 के सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निर्गत सूचना के अनुसार 01बीघा 17कट्ठा 03धूर 10धूरकी जमीन अंकित किया गया है। अंचल अधिकारी ने भी प्रतिवेदन दिया है कि अपीलार्थी जालसाजी कर खाता–87, खेसरा–304, खाता–104, खेसरा–363 तथा खाता–88, खेसरा–368 जो किसी अन्य रैयत का है अपना जमीन जमाबंदी संख्या–198 में चढ़ा लिया है।

उत्तरवादी ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा जमाबंदी सुधार वाद संख्या–12/2013 में पारित आदेश विधि सम्मत बताते हुए उसे अक्षुण रखते हुए इस पुनरीक्षण वाद को खारिज करने का अनुरोध किया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा उनके द्वारा दाखिल कागजातों का परिशीलन किया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा जमाबंदी सुधार वाद संख्या–03/2013 में पारित आदेश का भी गहन अध्ययन किया। उन्होंने जमाबंदी संख्या–16, 197 तथा 198 में तीनों जमाबंदी रैयतों के अवशेष बची जमीन का गणना कर जमाबंदीवार जमीन का रकवा निर्धारित कर दिया है।

संबंधित मूल जमाबंदी का अवलोकन किया। जमाबंदी संख्या–198 में ओभर राईटिंग कर 01 (एक) अंकित किया गया है। यह जमाबंदी सेख सफीउद्दीन के नाम से कायम है, जो इस वाद के अपीलार्थी जकी उद्दीन के पिता थें। चूँकि जमाबंदी पंजी के संरक्षक हल्का कर्मचारी होते है, इसलिए इसमें छेड़छाड़ करने की सारी जबाबदेही हल्का कर्मचारी की बनती है। अंचल अधिकारी, मानसी दोषी कर्मचारी के विरूद्ध प्रपत्र–'क' गठित कर उचित माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक पक्ष के अन्दर भेजेंगे। इस प्रकार विपक्षी द्वारा प्रश्नगत जमाबंदी में छेड़छाड़ करने की शिकायत सही प्रतीत होता है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलकर्त्ता मो0 जकी उद्दीन पिता–स्व0 सफी उद्दीन का यह मामला शुद्ध रूप से स्वत्व का बनता है, जिसके लिए अपीलार्थी उचित व्यवहार न्यायालय के समक्ष उपचारों की याचना के लिए स्वतंत्र होंगे।

इसी आदेश के साथ अपीलार्थी का अपील आवेदन पत्र खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को उनके मूल अभिलेख के साथ वापस करें। साथ ही इसकी एक प्रति अंचल अधिकारी, मानसी को अनुपालनार्थ भेजें। जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को एक प्रति भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

5/8/15

अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

5/8/15

अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।